Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
January-June 2024 5(1), 950–953

INDIAN DEMOCRACY: THE CONCEPT OF 'ONE NATION, ONE ELECTION'

भारतीय लोकतंत्र: 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की संकल्पना

Pooran Mal Meena [1]

[1] Associate Professor and Head, Department of Political Science, Govt College Rajgarh, Alwar (Rajasthan), India

DOI
10.29121/shodhkosh.v5.i1.2024.3862

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

ABSTRACT

English: The concept of 'One Nation, One Election' in India is a proposal to hold simultaneous elections to the state assemblies and the Lok Sabha. The idea is proposed to save the country's resources, time and cost, reduce administrative burden and ensure stability of governance. Its benefits include reduction in election expenditure, ease of policy-making, and public convenience. However, its implementation faces problems such as constitutional amendment, political consensus, technical difficulties, and the challenge of snap elections. Its impact on Indian democracy can be positive, provided it is implemented keeping in mind the diversity of the country and the constitutional framework. Overall, this concept can make the democratic process more robust and inclusive.

Hindi: भारत में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की संकल्पना राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनावों को एक साथ कराने का प्रस्ताव है। यह विचार देश के संसाधनों, समय और खर्च को बचाने, प्रशासनिक बोझ कम करने और शासन की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इसके लाभों में चुनावी खर्च में कमी, नीति-निर्माण में सुगमता, और जनता की सुविधा शामिल हैं। हालाँकि, इसे लागू करने में संवैधानिक संशोधन, राजनीतिक सहमति, तकनीकी कठिनाइयाँ, और आकस्मिक चुनावों की चुनौती जैसी समस्याएँ हैं। भारतीय लोकतंत्र पर इसका प्रभाव सकारात्मक हो सकता है, बशर्ते इसे देश की विविधता और संवैधानिक ढाँचे को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाए। समग्र रूप से, यह संकल्पना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़ और समावेशी बना सकती है।

Keywords: Indian Democracy, One Nation One Election, Election Commission, Constitutional Amendment, Democratic Process, Political Stability, Resource Saving, Election Reforms, Administrative Challenge, Consensus of Political Parties, भारतीय लोकतंत्र, एक राष्ट्र एक चुनाव, चुनाव आयोग, संविधान संशोधन, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, राजनीतिक स्थिरता, संसाधन की बचत, चुनाव में सुधार, प्रशासनिक चुनौती, राजनीतिक दलों कीसहमति

1. प्रस्तावना

भारतीय लोकतंत्र, जिसकी पहचान विश्व के सबसे बड़े और विविधतापूर्ण लोकतंत्र के रूप में है, सदैव अपनी अनूठी चुनाव प्रक्रिया और जनसांख्यिकीय जटिलताओं के लिए चर्चा में रहा है। यहाँ की चुनाव प्रक्रिया भौगोलिक विविधताओं के अतिरिक्त भाषायी, सांस्कृतिक, और सामाजिक विविधताओं का प्रतिबिंब है। हर पांच साल में केंद्र और राज्यों के चुनाव देश की जनता के राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग और उनकी प्राथमिकताओं को व्यक्त करने का माध्यम बनते हैं। हाल के वर्षों में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की संकल्पना ने भारतीय राजनीति और प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान की है। इस विचार के अंतर्गत यह प्रस्ताव रखा गया है कि लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएँ। यह विषय केवल राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम नागरिकों और विशेषज्ञों के बीच भी गहन चर्चा का विषय बन चुका है। यह शोध पत्र इस विषय को समझने का प्रयास है, जो 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के विविध पहलू और इसके प्रभावों का संतुलित मूल्यांकन प्रस्तुत करने की ओर उन्मुख है। भारत का लोकतंत्र संघीय संरचना पर आधारित है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। भारतीय संविधान ने चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। स्वतंत्रता के बाद से भारत में चुनाव प्रक्रिया को लेकर कई सुधार और परिवर्तन हुए हैं।

एक देश, एक चुनाव: समर्थन के प्रमुख तर्क -'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का अर्थ है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएँ। यह संकल्पना 1950 और 1967 के बीच सफलतापूर्वक लागू की गई थी। लेकिन, 1967 के बाद विभिन्न कारणों से राज्यों और केंद्र के चुनाव अलग-अलग समय पर होने लगे। इस संकल्पना को पुनः लागू करने के पीछे प्रमुख तर्क यह है कि इससे समय, धन और संसाधनों की बचत होगी।'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की संकल्पना भारतीय लोकतंत्र के लिए कई दृष्टियों से फायदेमंद हो सकती है जिनमे से कुछ इस प्रकार हैं -

आदर्श आचार संहिता से विकास कार्यों में बाधा का समाधान-लगातार चुनावों के कारण बार-बार आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, जिससे विकास कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चुनावी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव के दौरान नई परियोजनाओं, योजनाओं, वित्तीय स्वीकृतियों और नियुक्तियों पर प्रतिबंध। परिणामस्वरूप, सरकारें आवश्यक नीतिगत निर्णय नहीं ले पातीं और कई योजनाओं का क्रियान्वयन रुक जाता है। यदि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएँ, तो आचार संहिता केवल सीमित अवधि के लिए लागू होगी, जिससे विकास कार्य बिना किसी रुकावट के पूरे किए जा सकेंगे।

आर्थिक व्यय में कमी: एक साथ चुनाव कराने से चुनाव प्रचार, सुरक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था, और अन्य खर्चों में भारी बचत हो सकती है। इससे सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा, जो देश के विकास में लगाया जा सकता है। बार-बार चुनाव कराने से सरकारी खजाने पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है। लगातार चुनावों पर बढ़ता खर्च देश की आर्थिक सेहत के लिए ठीक नहीं है। एक साथ चुनाव कराने से चुनावी प्रक्रिया का खर्च और संसाधनों की बर्बादी कम होगी, जिससे राष्ट्रीय धन का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा।

काले धन और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण चुनावों के दौरान काले धन का व्यापक उपयोग और भ्रष्टाचार एक बड़ी चुनौती है। चुनावी खर्च की सीमा प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा निर्धारित है, लेकिन राजनीतिक दलों पर ऐसी कोई सीमा नहीं है। लगातार चुनाव कराने से काले धन का प्रवाह बढ़ता है और सामाजिक समरसता प्रभावित होती है। एक साथ चुनाव से यह प्रवृत्ति नियंत्रित हो सकती है, जिससे भ्रष्टाचार और तनावपूर्ण चुनावी माहौल में कमी आएगी।

प्रशासन और सुरक्षा बलों पर बोझ कम-बार-बार चुनाव कराने से सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को बार-बार चुनावी ड्यूटी पर लगाना पड़ता है। हर चुनाव में भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ता है, जिससे उनकी प्राथमिक जिम्मेदारियाँ बाधित होती हैं। एक साथ चुनाव कराने से यह बोझ घटेगा, और प्रशासन तथा सुरक्षा बल अपने नियमित कार्यों पर अधिक ध्यान दे पाएंगे।

प्रशासनिक प्रभाव: शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी से उनकी नियमित जिम्मेदारियाँ प्रभावित होती हैं।

आम जन-जीवन पर सकारात्मक प्रभाव-बार-बार होने वाले चुनाव आम जनता के दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं।

यातायात और व्यवसाय पर प्रभाव: चुनावों के दौरान सड़कों पर रुकावटें, बंदोबस्त और स्थानीय गतिविधियों में व्यवधान। एक साथ चुनाव से यह असुविधा कम होगी और जनता का ध्यान अधिक स्थिर और उत्पादक रहेगा।

एक बार चुनाव से समय की बचत: बार-बार चुनाव के बजाय एक साथ चुनाव कराना समय की बचत करेगा, जिससे सरकार को विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा।

शासन व्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता: लगातार चुनावों के कारण सरकारों पर राजनीतिक दबाव और अस्थिरता बढ़ती है। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' से स्थिरता आ सकती है, जिससे विकास योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जा सकेगा।

चुनाव आयोग पर बार-बार चुनावों का दबाव कम होगा: चुनाव आयोग पर बार-बार चुनावों का दबाव कम होने से चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनेगी। साथ ही, जनता को बार-बार मतदान केंद्र पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे मतदाता की सहभागिता में वृद्धि हो सकती है।

संविधान और संसदीय व्यवस्था में सुधार: इस संकल्पना को लागू करने से संविधान में सुधार और संसदीय व्यवस्था की प्रक्रियाओं में सुधार की संभावना है, जो लंबे समय में लोकतांत्रिक ढाँचे को मजबूत करेगा।

राजनीतिक सहमति और राष्ट्रीय एकता: यह प्रक्रिया विभिन्न राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाकर राष्ट्रीय मुद्दों पर एकजुट होने का अवसर प्रदान कर सकती है, जिससे राष्ट्रीय एकता और सहमति बढ़ सकती है।

इस प्रकार, 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की संकल्पना भारतीय लोकतंत्र के विकास, आर्थिक बचत, और राजनीतिक स्थिरता के दृष्टिकोण से देशहित में महत्वपूर्ण कदम हो सकती है।"एक देश, एक चुनाव" विचार न केवल आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से लाभकारी है, बल्कि यह देश की चुनावी प्रक्रिया को अधिक कुशल और सुव्यवस्थित बना सकता है। हालाँकि, इसके सफल क्रियान्वयन के लिए व्यापक सहमति और संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी।

एक देश, एक चुनाव: विरोध में तर्क-'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की संकल्पना भारतीय लोकतंत्र में सुधार का एक साहसिक प्रयास है, लेकिन इसके नकारात्मक पक्षों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह विचार, जो केंद्र और राज्यों के चुनावों को एक साथ आयोजित करने की बात करता है, व्यवहारिक, संवैधानिक, और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से कई चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।

संवैधानिक प्रावधानों का विरोधाभास-भारत का संविधान लोकसभा और विधानसभाओं के लिए पाँच साल का कार्यकाल निर्धारित करता है, लेकिन यह एक साथ चुनाव की अवधारणा का स्पष्ट रूप से समर्थन नहीं करता।

अनुच्छेद 85(2)(ख): राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार।

अनुच्छेद 174(2)(ख): राज्यपाल को विधानसभाओं को समय से पहले भंग करने का अधिकार।

अनुच्छेद 352 और 356: आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के दौरान चुनावी समय-सारिणी में बदलाव की अनुमति।

ऐसे संवैधानिक प्रावधान एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा से मेल नहीं खाते।

संघीय ढाँचे पर प्रभाव-भारत का शासन संघीय प्रणाली पर आधारित है, जहाँ केंद्र और राज्य सरकारें अपनी स्वतंत्रता के साथ कार्य करती हैं। एक साथ चुनाव होने पर कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल को जबरन घटाना या बढ़ाना पड़ेगा।

यह राज्यों की स्वायत्तता और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए हानिकारक हो सकता है। यह संघीय ढाँचे को कमजोर कर सकता है, जो संविधान का एक प्रमुख स्तंभ है।

क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों का टकराव- लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव के मुद्दे भिन्न होते हैं। लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय सरकार के गठन पर केंद्रित होते हैं, जबकि विधानसभा चुनाव राज्य के स्थानीय मुद्दों पर।एक साथ चुनाव होने पर राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दों को दबा सकते हैं या इसके उलट भी हो सकता है। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो सकती है।

जवाबदेही और लोकतांत्रिक निरंकुशता-संसदीय प्रणाली में बार-बार चुनाव जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाए रखते हैं। बार-बार चुनाव जनता को अपनी शिकायतें और मांगें उठाने का अवसर प्रदान करते हैं। एक साथ चुनाव होने से पाँच साल तक जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही कम हो सकती है, जिससे सत्ता में निरंकुशता बढ़ने का खतरा है।

जनसंख्या और संसाधन की चुनौती-भारत की विशाल जनसंख्या और आधारभूत संरचना की कमी एक साथ चुनाव की राह में बड़ी बाधा है। देश की विविधता और क्षेत्रीय जटिलताएँ चुनाव संचालन को कठिन बना सकती हैं।

चुनावों के लिए आवश्यक मानव संसाधन, सुरक्षा बल, और लॉजिस्टिक की भारी कमी हो सकती है।

लोकतांत्रिक विविधता का ह्रास:-भारत की विविधतापूर्ण लोकतांत्रिक संरचना में राज्यों की प्राथमिकताएँ और राजनीतिक मुद्दे भिन्न होते हैं। यदि सभी चुनाव एक साथ होते हैं, तो राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय समस्याओं पर हावी हो सकते हैं। यह क्षेत्रीय दलों और स्थानीय नेताओं के लिए अनुचित होगा, क्योंकि उनकी आवाज़ राष्ट्रीय स्तर की बहस में दब सकती है।

अचानक सरकारों के पतन की स्थिति:-यदि कोई राज्य सरकार अपने कार्यकाल के मध्य में गिरती है, तो 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की नीति के तहत उसे तुरंत चुनाव कराने के बजाय राष्ट्रपति शासन में चलाना होगा। यह जनता की राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश लगा सकता है।

लॉजिस्टिक और तकनीकी चुनौतियाँ:-भारत जैसे विशाल देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए बड़ी संख्या में ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) और वीवीपैट की आवश्यकता होगी। इनकी सुरक्षा, रखरखाव, और वितरण एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा, मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों की तैनाती भी जटिल और महंगी प्रक्रिया बन सकती है।

वोटर व्यवहार और चुनावी ध्रुवीकरण:-एक साथ चुनावों के कारण मतदाताओं का ध्यान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों के बीच बँट सकता है। इससे वोटिंग पैटर्न में असंतुलन और चुनावी ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। बड़े राष्ट्रीय दलों को लाभ होगा, जबकि छोटे और क्षेत्रीय दल नुकसान उठा सकते हैं।

चुनावी बहस का ह्रास:-जब चुनाव लगातार होते हैं, तो राजनीतिक दल और सरकारें जनता के मुद्दों पर अधिक ध्यान देती हैं। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के चलते यह संभावना है कि सरकारें केवल पाँच साल में एक बार जनता के समक्ष जवाबदेह बनेंगी, जिससे चुनावी बहस और सार्वजनिक भागीदारी कमजोर हो सकती है।

संकट प्रबंधन में बाधा:-अलग-अलग चुनावों का एक लाभ यह है कि वे स्थानीय और क्षेत्रीय संकटों को सुलझाने में मददगार होते हैं। यदि सभी चुनाव एक साथ होते हैं, तो क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से न हो पाने का खतरा रहेगा। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की संकल्पना विचारशील है, लेकिन इसे लागू करने से पहले इसके नकारात्मक प्रभावों का गहन मूल्यांकन आवश्यक है। यह योजना भारतीय लोकतंत्र की जटिलताओं और विविधताओं को कमज़ोर कर सकती है। इसीलिए इसे केवल प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि लोकतंत्र की बुनियादी आत्मा को ध्यान में रखकर परखा जाना चाहिए।

2. निष्कर्ष

एक राष्ट्र, एक चुनाव' की संकल्पना भारतीय लोकतंत्र को अधिक स्थिर, प्रभावी, और संसाधन-सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम हो सकती है। इसके माध्यम से चुनावी प्रक्रिया में सुधार, संसाधनों की बचत, और शासन पर बेहतर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। यह संकल्पना राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक समन्वय को बढ़ावा दे सकती है, जिससे विकास कार्यों को गति मिल सके। हालाँकि, इसे लागू करने से पहले संवैधानिक संशोधनों, संघीय ढाँचे, और राजनीतिक सहमति जैसे मुद्दों का समाधान आवश्यक है। इसके अलावा, प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस योजनाएँ और तैयारियाँ जरूरी हैं। यह संकल्पना, यदि सावधानी पूर्वक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए लागू की

जाती है, तो भारतीय लोकतंत्र के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकती है। लेकिन इसके नकारात्मक पहलुओं और व्यावहारिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, इस पर व्यापक संवाद और सहमति बनाना अत्यंत आवश्यक है।

CONFLICT OF INTERESTS

None.

ACKNOWLEDGMENTS

None.

REFERENCES

https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/one-nation-one-election
गुप्ता, एम. (2018). भारतीय चुनाव प्रक्रिया का विश्लेषण. नई दिल्ली: प्रकाशन हाउस.
शर्मा, एस. (2020). भारतीय लोकतंत्र में चुनावी सुधार. लखनऊ: प्रगति पब्लिशर्स.
चरण, वी. (2019). राजनीतिक स्थिरता और लोकतंत्र में एकता. कोलकाता: राजनीति विज्ञान संस्थान.
रॉय, प. (2021). भारतीय लोकतंत्र और संघीय प्रणाली. मुंबई: राष्ट्रीय पुस्तकालय.
चतुर्वेदी, एन. (2022). भारत में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की संकल्पना: संभावनाएँ और चुनौतियाँ. दिल्ली विश्वविद्यालय.
भारत सरकार (2018). चुनाव आयोग की रिपोर्ट: 2017-2018. नई दिल्ली: चुनाव आयोग.
कुमार, आर. (2020). लोकतंत्र और चुनावी सुधार: एक शोध. पटना: साहित्यिका प्रकाशन.
वर्मा, एस. (2019). चुनाव सुधारों की दिशा और उनके प्रभाव. इलाहाबाद: शिक्षा प्रकाशन.